न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 64/2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/109)

निर्णय दिनांकः– 20-01-2026

1. जसराम पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाणा हाल निवासी वार्ड नम्बर 10, 3 एसडी, संगीता, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 07–03–1992
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 07–03–1992 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि कब्जे के अभाव में निरस्त कर दी गई के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चक 4 जीडब्ल्युएम के मुरब्बा नम्बर 31/53 में किला नम्बर 1 ता 3 में 3 बीघा, किला नम्बर 9 व 10 में 2 बीघा कुल 5 बीघा अनकमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर 31/46 में किला नम्बर 1, 2, 10 में 3 बीघा कुल 3 बीघा कमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर 30/62 में किला नम्बर 24 व 25 में 2 बीघा कुल तादादी 2 बीघा कमाण्ड इस प्रकार अपीलांट को 5 बीघा अनकमाण्ड व 5 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट के नाम से दिनांक 07–03–1992 को आवंटन पट्टा भी जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था जबकि उसको केवलमात्र 5 बीघा अनकमाण्ड व 5 बीघा कमाण्ड भूमि कुल 10 बीघा भूमि का ही आवंटन किया गया था। जबकि पात्रता अनुसार अपीलांट 22 बीघा कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि के हिसाब से 44 बीघा आवंटन करवाने का पात्र था। जो उसे आवंटित नही की गई। अपीलांट एक भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति है। उसके पास इस जमीन के अलावा अन्य कोई जमीन नही है। राज्य सरकार का आदेश है कि जो भूमिहीन काश्तकार है उनकी वरियता के अनुसार उनको सर्वप्रथम भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए। अपीलांट को जो भूमि आवंटित की गई है वह टुकड़ो के रूप में आवंटित की गई है जो काश्त करने योग्य नही है। इसलिए अपीलांट को पात्रता के अनुसार भूमि आवंटन की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट को 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया तथा दिनांक 07–03–1992 को अपीलांट को चक 4 जीडब्ल्युएम के मुरब्बा नम्बर 31/53 में किला नम्बर 1 ता 3 में 3 बीघा, किला नम्बर 9 व 10 में 2 बीघा कुल 5 बीघा अनकमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर 31/46 में किला नम्बर 1, 2, 10 में 3 बीघा कुल 3 बीघा कमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर 30/62 में किला नम्बर 24 व 25 में 2 बीघा कुल तादादी 2 बीघा कमाण्ड इस प्रकार अपीलांट को 5 बीघा अनकमाण्ड व 5 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट को कुल 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था परन्तु अपीलांट को 5 बीघा अनकमाण्ड व 5 बीघा कमाण्ड भूमि का ही आवंटन किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कुल 22 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था परन्तु अपीलांट को चक 4 जीडब्ल्युएम के मुरब्बा नम्बर 31/53 में किला नम्बर 1 ता 3 में 3 बीघा, किला नम्बर 9 व 10 में 2 बीघा कुल 5 बीघा अनकमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर 31/46 में किला नम्बर 1, 2, 10 में 3 बीघा कुल 3 बीघा कमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर 30/62 में किला नम्बर 24 व 25 में 2 बीघा कुल तादादी 2 बीघा कमाण्ड इस प्रकार अपीलांट को 5 बीघा अनकमाण्ड व 5 बीघा कमाण्ड भूमि का ही आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा जमाबंदी संवत 2072–2075 की प्रति पेश की जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नही किया गया उक्त आवंटित भूमि वर्तमान में अराजीराज दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या खारिजी आदेश उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट का आवंटन कभी खारिज हुआ हो। यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को आदेशिका दिनांक 06–03–1992 द्वारा कुल 22 बीघा भूमि का पात्र घोषित किया गया था। परन्तु आदेश दिनांक 07–03–1992 द्वारा उसे केवल 10 बीघा भूमि ही आवंटित की गई। इस स्थिति में अपीलांट को सक्षमता के अनुरूप भूमि का आवंटन नही किया जाना प्रकट होता है।

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 20-01-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर